सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डअधिकारी, केकड़ीजिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –134 / 2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. छीतर पुत्र रामपाल बागरिया
2. कैलाश पुत्र रामपाल बागरिया

निवासीगण बागरिया की ढाणी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. लादू पुत्र मांगू बागरिया
2. गोपाल पुत्र बद्री बागरिया
3. काना पुत्र बद्री बागरिया
4. कानी पुत्री लादू बागरिया
5. नन्दू पुत्री लादू बागरिया
6. संतोक पत्नि लादू बागरिया
7. लाली पत्नि गोपाल बागरिया
8. संतोक पत्नि काना बागरिया

समस्त जाति बागरिया निवासीगण बागरिया की ढाणी ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–30.6.18

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प बघेरा में पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप मे ंविवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेशकर निवेदन किया है कि वादी के कब्जे काश्त व स्वामित्व व खातदेारी की आराजीयात जो कि वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता स. 416 के खसरा नम्बर 4718, 4719, 4720, 4721, 4723, 4724, 4747 / 4961, 4751, 4752, 4766, 4767 / 5434 कुल किता 11 कुल रकबा 3.10 है. में दर्ज खातेदार है । वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। उक्त आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व की है। प्रतिवादी गण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। आये दिन वादीगण से लडाईझगडा करने लग जाते है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण ,उनके नोकर, चाकर, हाली, सीरी, एजेन्ट, मुख्यातर, इत्यादि को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना चाहा है। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया.। पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार बघेरा में पेश हुई । प्रतिवादीगण स्वयं एवं उनके अधिवक्ता उप.।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकार को सूना। उपस्थित पक्षकारान ने कोई आपत्ति न होना स्वीकार किया । वादग्रस्त आराजी वादीगण पुश्तैनी खातेदारी होने से वादी का प्रेमा फैसाई केस बनता है तथा वाद पत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादग्रस्त आराजी ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता स. 416 के खसरा नम्बर 4718, 4719, 4720, 4721, 4723, 4724, 4747 / 4961, 4751, 4752, 4766, 4767 / 5434 कुल किता 11 कुल रकबा 3.10 है. में वादीगण की स्वंय की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण एवं उनके हाली,सीरी,ऐजेन्ट नोकरचाकर इत्यादि को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की वाद वर्णित आराजीयात के कब्जेकाश्त , उपयोग ,उपभोग एवं स्वामित्व मे ंकिसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगें । डिक्री पर्चा जारी हो। *पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 30.6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्डअधिकारी
केकडी